



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू

सचिव

Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu

MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS

Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

By Speed Post

D.O.No.F.5-1/2015(CPP-II)

31st May, 2016

Dear Sir/Madam,

This is in continuation of my earlier letter of even number dated 11th September, 2015 in which UGC had asked the universities to align the degrees with the degrees specified by the UGC in Notification dated 5th July, 2014 published in the Gazette of India. I reiterate that UGC Regulations being statutory in nature are binding on Universities and Colleges.

In the second amendment notified in the Gazette dated 2nd May, 2016, the following new degrees have been specified in the field of sports.

1. BPES (Bachelor of Physical Education and Sports)
2. MPES (Master of Physical Education and Sports)

The universities which are offering BPE and MPE, shall accordingly restructure these programmes and award the degrees as BPES and MPES. List of degrees is available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellor of all Universities.

Copy to:

Publication Officer, UGC, New Delhi for uploading on UGC website.

(Jaspal S. Sandhu)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 170]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

डिग्रियों का विनिर्देशन

मि.सं. 5-1/2015 (सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 एवं डिग्रियों के विनिर्देशन संबंधी राजपत्र में प्रकाशित क्रियान्वयन संशोधन जिसे 5 जुलाई, 2014 को जारी किया गया था, तथा इस अधिनियम के अनुच्छेद 22 के उप-अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, डिग्रियों के विनिर्देशन के अधिनियम पर इस अधिसूचना द्वारा द्वितीय संशोधन अधिसूचित कर रहा है। सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से ही इसे लागू माना जाएगा।

विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ

1. खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में निम्न नवीन डिग्रियाँ विनिर्दिष्ट की गई हैं:

| खेल कूद विज्ञान | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------------|-----------------|-------------|
| विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ | | स्तर | न्यूनतम अवधि (वर्ष) | पात्रता योग्यता | |
| लघुकृत | विस्तारित | | | | |
| 131. | बीपीईएस | बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स | बैचलर (स्नातक) | 3 | 10+2 |
| 132. | एमपीईएस | मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स | मास्टर्स (स्नातकोत्तर) | 2 | बी.पी.ई.एस. |

जो विश्वविद्यालय बीपीई और एमपीई की डिग्रियाँ प्रदान कर रहे हैं, वे उपरोक्त तालिका के अनुसार अपने कार्यक्रमों को पुनर्गठित कर लें और डिग्रियों को बीपीईएस और एमपीईएस के रूप में प्रदान करें।

जसपाल एस. सन्धू, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा/52(113)]